



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



12 चैत्र, 1946 (श०)

संख्या - 198 राँची, सोमवार,

1 अप्रैल, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

12 जनवरी, 2024

संख्या-5/आरोप-1-40/2019-8432 (HRMS)--श्री मनोज कुमार, झा०प्र०से० (द्वितीय बैच, कोटि क्रमांक-128/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, प्रतापपुर, चतरा के विरुद्ध ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज) के पत्रांक-3292, दिनांक 16.10.2019 द्वारा आरोप पत्र उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरुद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किया गया-

आरोप- प्रखण्ड कार्यालय, प्रतापपुर के अधीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, प्रतापपुर के पद पर पदस्थापित रहने के दौरान श्री मनोज कुमार ने श्री श्यामल कुमार आयकत, सेवानिवृत्त पंचायत सचिव, प्रतापपुर को सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत वृद्धा पेंशन वितरण हेतु दिए गए अग्रिम एवं समायोजित राशि 1074200/- के समायोजन अथवा वापसी हेतु आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई, जिससे लक्षित समूह को योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो सका। श्री कुमार के इस कृत्य से सरकारी राशि का दुरुपयोग हुआ। श्री कुमार का यह आचरण सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम-3(3) के प्रतिकूल है।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-491, दिनांक 22.01.2021 एवं स्मार पत्रांक-4733, दिनांक 13.09.2021 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। इसके अनुपालन में श्री कुमार के पत्र, दिनांक 30.09.2021 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं0-23948(HRMS), दिनांक 08.09.2023 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। विभागीय जाँच पदाधिकारी के पत्रांक-263, दिनांक 10.11.2023 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया।

विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा श्री कुमार के विरुद्ध लगाये गये आरोप को प्रमाणित नहीं होता है, प्रतिवेदित करते हुए अंकित किया गया कि आरोपी पदाधिकारी श्री कुमार प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, प्रतापपुर के प्रभार में मात्र एक माह ही रहे हैं। संभव है कि इस अल्प अवधि में श्यामल कुमार आयकत, पंचायत सचिव (सेवानिवृत्त) के पास लंबित अग्रिम राशि मो० 1074200/- रुपये का मामला उनके संज्ञान में नहीं आया हो।

श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनका बचाव बयान एवं विभागीय जाँच पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत विभागीय जाँच पदाधिकारी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री मनोज कुमार, झा०प्र०से०, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, प्रतापपुर, चतरा को आरोप मुक्त किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री मनोज कुमार, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	MANOJ KUMAR 20080400127	श्री मनोज कुमार, झा०प्र०से० (द्वितीय बैच, कोटि क्रमांक-128/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, प्रतापपुर, चतरा को आरोप मुक्त किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,

सरकार के संयुक्त सचिव।

जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3601
